



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2019/माघ 10, 1940

No. 439]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2019/MAGHA 10, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2019

का.आ. 552(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (दिल्ली के सिवाय गोवा राज्य और संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए) भारत सरकार द्वारा गठित आयोग, को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में एतद्द्वारा अधिसूचित करती है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:—

- (क) याचिका फीस;
- (ख) लाइसेंस फीस; और
- (ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) से अर्जित व्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (दिल्ली के सिवाय गोवा राज्य और संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए):—

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए लागू समझी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के बारे में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 6/2019/फा. सं. 300196/17/2016-आईटीए-I]

राजराजेश्वरी आर., अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।